# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–दतिया

III/निगरानी/दतिया/भू.रा/2018/0881

ज्ञान सिंह पुत्र श्री विलासी जाटव
निवासी – ग्राम कन्जौली तहसील
इन्दरगढ़ जिला – दतिया (म.प्र.)
..... आवेदक

विरूद्ध

1 राकेश पुत्र श्री रामहजूर बघेल
2 मुकेश पुत्र श्री तुलाराम बघेल
निवासी – ग्राम कन्जौली तहसील
इन्दरगढ़ जिला – दतिया (म.प्र.)
.....अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा आज दि० 03.2.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 26.2.18 नियत।
तत्काल बेंच क्लर्क
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
3.2.18

**न्यायालय/कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत कुदारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 94/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 19.07.2014 के विरूद्ध म.प्र.भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

**मामले के संक्षिप्त तथ्य :**

1. यहकि, ग्राम कन्जोली में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 615 रकवा 0.74 सीमांकन हेतु आवेदन पत्र अनावेदक क्रमांक 1 राकेश पुत्र रामहजूर द्वारा प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर प्रकरण में कार्यवाही सम्पादित की जाकर प्रकरण क्रमांक 94/अ–12/2013–14 पर पंजीबद्ध कर स्थल पर कोई जांच किये बिना तथा आवेदक को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना जो आदेश दिनांक 19.07.2014 को किया गया है, वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, उपरोक्त सीमांकन विधिवत् एवं उचित नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, क्योंकि ग्राम पटवारी द्वारा वर्तमान प्रकरण में सीमांकन कार्य किया है, जो प्रथम दृष्टि में अधिकारिता रहित होने से अपास्त किये जाने

03/02/18

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

(2)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन/निग/दतिया/भू.रा./2018/0881

ज्ञान सिंह विरूद्ध राकेश

| | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 05 –04–18 | प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया।<br><br>2- प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से वहीं तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां दुहराए जाकर पुन: उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन पर विचार किया गया है।<br><br>4- आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के अनुक्रम में निगरानी मेमो के संलग्न अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर ऐसा कोई अभिलेखीय आधार नहीं पाया गया जिसके आधार पर प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य किया जाता। परिणाम स्वरूप निगरानी में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्र0दा0रि0 हो।<br><br>(डॉ0एम0के0अग्रवाल)<br>सदस्य | ध् |